

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक : 02 मार्च, 2017

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4573/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2015-16, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद-सोनभद्र की न0प0, पिपरी, दुद्धी, ओबरा व चोपन की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 24 परियोजनाओं हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से शासनादेश संख्या-565/2016/1542/69-1-16-18(मोबो-83)/2016 दिनांक 01 सितम्बर, 2016 सपठित शुद्धि पत्र संख्या-619/2016/1542/69-1-2016-18(मोबो-83)/2016 दिनांक 29.09.2016 द्वारा ₹0 557.17 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् ₹0 278.585 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी। अतएव उक्त परियोजनाओं में से 23 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट में उपलब्ध धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि ₹0 269.175 लाख (रूपये दो करोड़ उनहत्तर लाख सत्रह हजार पांच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0 एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
3. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


राज्य नगरीय विकास अभिकरण
श्री योगेश

Tc

813117 1951 Tc

4. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय नियासियों को मिल सके।
5. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।


16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-00-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।
संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-49/2017/297(1)/69-1-2017 तद्विनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0, 20 सराजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सोनभद्र।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0, शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल लागत	द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	सोनभद्र	नगर पंचायत पिपरी	वार्ड नं0-01 में श्री राम जी के घर के सामने से अलीम के घर तक, रेका के घर से अमित के घर तक, रफीक के घर से राजेन्द्र के घर तक, महेन्द्र के घर से अजाय के घर तक, मुनीब अंसारी के घर से रेलवे मैदान के पास खरपत्तु के घर तक, शंकर स्वामी के घर से आई0डब्ल्यू0 कालोनी में राजेन्द्र के घर तक, दया के घर से उपेन्द्र यादव के घर तक, बनारसी के घर से सुदामा के घर तक, संतराज के घर से बसन्त यादव के घर तक, रेखा के घर से अशोक के घर तक, पानी की टंकी से जितेन्द्र ठाकुर के घर तक, कपतु के घर से पंकज के घर तक, जोगेन्द्र यादव के घर से कपतु के घर तक, शत्रुघ्न के घर से आजाद के घर होते हुए टीपू के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	42.41	21.205
2.	तदैव	नगर पंचायत दुडी	वार्ड सं0-02 में कृपाओं की मंदिर चर्च के सामने से ग्राम वीडर वार्डर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	20.93	10.465
3.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-06 में श्याम बिसारी गुरु जी के घर से मकतब स्कूल तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	15.67	7.835
4.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-07 में सत्य नारायण सिंह के घर के यादवडी से नरेश के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	21.37	10.685
5.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-03 में दुलारे एडवोकेट के घर से अनिल के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	21.43	10.715
6.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-08 में सियाराम तिवारी के घर से डी0आर0 पैलेस तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	9.63	4.815
7.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-04 में सुरेश के घर से अमवार पुलिया तक नाली का निर्माण कार्य।	23.14	11.57
8.	तदैव	न0प0 ओबरा	वार्ड नं0 07 में श्रीमती निर्मला देवी के घर से रिक्कू शर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	6.18	3.09
9.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 07 में कनाला अंसारी के घर से वीरेन्द्र शर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	6.61	3.305
10.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 09 में रामू के घर से बबलू के घर होते हुए गीता देवी के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	6.72	3.36
11.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 09 में अनिल के घर से जवाहित के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	10.63	5.315

12.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 09 में शिव कुमार मिश्रा के घर से साईं मन्दिर के पास तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	22.48	11.24
13.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 10 में चोपन मेन रोड से प्रकाश यादव के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	32.87	16.435
14.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 17 में 2 एफटी-30 में गौतम प्रसाद के घर के सामने पुलिया से रामपाल के घर में पास तक नाली का निर्माण कार्य।	39.73	19.865
15.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 17 में सन्तोष बाबू के घर के पीछे से 2-आई 222 के पास पुलिया तक नाली का निर्माण कार्य।	39.82	19.91
16.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 20 में डिग्री कालेज के बगल से मुक्ता निवास तक नाली निर्माण का कार्य।	17.21	8.605
17.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-20 में कश्मि अली से मेन रोड पर मुक्ता निवास के सामने तक दोनों तरफ नाली का निर्माण कार्य।	10.68	5.34
18.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-20 में मदारन अली के घर से सरस्वती देवी के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	16.00	8.00
19.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-20 में सियाराम पान की दुकान से धनराज के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	18.35	9.175
20.	तदैव	न0पं0 चोपन	वार्ड नं0-5 के मल्लाही दोला पथम में कुर्मी पुलिया से सोन नदी तक नाली का निर्माण कार्य।	39.82	19.91
21.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-11, हाईडिल कालोनी में छठ घाट से मा0 कांशीराम जी शहरी ग्राह्य आवास के आगे तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	39.81	19.905
22.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-08 के अग्रवाल मार्केट में शमसुद्दीन पुत्र चुन्नु के घर के पास से बैजू पुत्र दशरथ गौड के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	38.99	19.495
23.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 8/11 में हनुमान दास के घर से विद्युत सब-स्टेशन तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	37.87	18.935
योग				538.35	269.175

(रूपये दो करोड़ उनहत्तर लाख सत्रह हजार पाँच सौ मात्र)।


(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।†